

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 451] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 6, 1982/आश्विन 14, 1904
No. 451] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1982/ASVINA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1982

का०आ० 714(अ) ---स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधि-
नियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खण्ड (च) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:—

1. डा० के० एन० गर्ग,
निदेशक-प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज, रोहतक।
2. डा० पी० के० बाहुल,
प्रोफेसर आफ मेडिसिन,
सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा।

3. डा० डी० सी० चौधरी,
प्रधानाचार्य,
गौहाटी मेडिकल कॉलेज, गौहाटी।
4. डा० मनोहर जे० जोशी,
डीन प्राक् मेडिकल फैकल्टी,
पूना विश्वविद्यालय,
पुणे-411007।

[सं० बी० 17020/135/81-एम०ई० (पी०जी०)]

महेन्द्र नाथ वोहरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1982

S.O. 714(E).—In pursuance of clause (f) of section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby nominates the following persons to be members of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, namely —

1. Dr. K.N. Garg,
Director-Principal,
Medical College, Rohtak.
2. Dr. P.K. Wahal,
Professor of Medicine,
S.N. Medical College,
Agra.
3. Dr. D.C. Choudhury,
Principal,
Gauhati Medical College,
Gauhati.
4. Dr. Manohar J. Joshi,
Dean of Medical Faculty,
Poona University,
Pune-411007.

[No. V. 17020/135/81ME(PG)]

N. N. VOHRA, Jt. Secy.